अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक–प्र०–6/विविध–164/2010– 2081 (E)w /पटना, दिनांक 25/4/17

प्रेषक,

लक्ष्मी नारायण दास,
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० उपभाग सहित)।
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)।
पथ निर्माण विभाग
सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० प्रमंडल सहित)।
पथ निर्माण विभाग

विषय :– **अन्य विभागों के संवेदकों को कालीसूची में डाले जाने/मुक्त किये जाने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा संवेदकों को कालीसूची में डाले जाने/मुक्त किये जाने की सूचना दी गयी है, जो निम्न है :–

क्र० सं०	संवेदक का नाम/ निबंधन संख्या	विभाग का नाम	ज्ञापांक एवं दिनांक	अभियुक्ति
1.	कर्मा कन्सट्रक्शन कम्पनी प्रा०लि० मिशन पार्क लेन, किशन क्वार्टर, बेतिया।	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–3563 दि०–21.03.2017 (छायाप्रति संलग्न)	संवेदक के निबंधन को कालीसूची से मुक्त किया गया।
2.	मो० इम्तियाज खाँ, बड़ी खंजरपुर नुरपुर, भागलपुर	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–3194 दि०–16.03.2017 (छायाप्रति संलग्न)	संवेदक के निबंधन को 10 साल के लिए कालीसूची में डाला गया।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

25.4.17

D:\NEHA SINHA\2012 KA NEW FOLDER\MANGAL\DRAFT\DEBAR MUKAT LETTER OTHER\DEBAR MUKAT LETTER.DOCX

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

कार्यालय आदेश सं0–14/अ0प्र0–3–11/15– 3194 **पटना,दिनांक–** 16.3.17

मुख्य अभियंता 2, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के कार्यालय पत्रांक 68 अनु0, दिनांक 10.01.2015 के द्वारा द्वारा अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल भागलपुर के पत्रांक 1316 अनु0, दिनांक 09.11.14 की प्रति संलग्न करते हुए संवेदक मो0 इम्तियाज खॉ, बडी खंजरपुर नुरपुर, भागलपुर(निबंधन सं0–3780/2010, श्रेणी 3) के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। उक्त पत्र के साथ संवेदक मो0 इमतियाज खान, द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण की प्रति भी संलग्न की गई है, जिसमें संवेदक का कहना है कि संबंधित निविदा कार्य के लिये दस्तावेज ऑनलाइन करने के लिये उनके द्वारा अपने मुंशी को प्राधिकृत किया गया था। संलग्न स्पष्टीकरण में उक्त संवेदक ने स्वीकार किया है कि जानकारी के अभाव में उनके मुंशी द्वारा गलत पेपर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त के संबंध में मुख्य अभियंता 2, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के पत्रांक 68 अनु0, दिनांक 11.02.15 की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 1652, दिनांक 11.02.15 द्वारा उक्त संवेदक से पुनः स्पष्टीकरण की मॉग की गई,। तत्पश्चात पत्रांक 5733, दिनांक 27.05.15 द्वारा उन्हें स्मारित भी किया गया। परन्तु संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

तत्पश्चात मुख्य अभियंता 2, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के पत्रांक 68 अनु0, दिनांक 10.01.15 एवं उसमें संलग्न संवेदक के स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त स्पष्टीकरण को अमान्य करते हुए उक्त संवेदक को काली सूची में डालने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त निर्णय के आलोक में संवेदक मो0 इम्तियाज खॉ, बडी खंजरपुर नुरपुर, भागलपुर (निबंधन सं0–3780/2010, श्रेणी 3) को विभागीय अधिसूचना संख्या–8123, दिनांक 19.12.07 की कंडिका–11 (क) की उप कंडिका (IX) एवं पथ निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश संख्या–154, दिनांक 18.06.2015 की कंडिका 8 के कमांक 4 के तहत दस (10) वर्षों के लिए विभागीय काली सूची में डाला जाता है।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–3–11/15– 3194 **पटना, दिनांक–** 16.3.17

प्रतिलिपि– अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/ सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/ सभी नोडेल पदाधिकारी (मु0) ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–3—11/15– 3194 **पटना, दिनांक–** 16.3.17

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित। आप अपने स्तर से उक्त संवेदक के जमानत की राशि जब्त करने एवं उनके विरूद्ध सर्टिफिकेट केस दायर करने की समुचित कार्रवाई करें।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–3—11/15– 3194 **पटना, दिनांक–** 16.3.17

प्रतिलिपि– आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को इंटरनेट पर उपरोक्त सूचना को प्रदर्शित करने हेतू प्रेषित।

अभियंता प्रमुख